भ्रष्टाचार उष्पूलन

1857 झी नागमणिः भी इंश दत्त यादवः

क्या प्रधान मंत्री यह सतने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार खच्छ प्रशासन और प्रष्टाचार

उम्मूलन हेतु गंभीरता से विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ख्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्पिक, लोक शिकायत और पेंशन पंत्रालय में राज्य मंत्री (झी एस॰आर॰ बालासवहाण्यन): (क), से (ग) जी, हां। सरकार सभी सतरों पर भटाचर समाप्त करने को आवश्यकता के प्रति पूर्णतः संअग है तथा स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए बचनबद्ध है। लोक-सेवाओं में प्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान एक सतत् प्रक्रिया है। इस संबंध में नीतियां बनाई गई हैं तथा इन्हें और अधिक प्रभावी बनाने एवं बदलते हए वातावरण-परिवेश के प्रति अनुकूल बनाने के लिए इनमें निरंतर रूप से प्रभावनीय परिवर्तन किए आ रहे हैं। सचिव तथा विभागाध्यक्ष ही मुख्यतः अपने मंत्रालय/ विभाग में भ्रष्टाचार रोकने के लिए ज़िम्मेवार हैं। कार्मिक, लोक शिकायत तथा पॅशन मंत्रालय में प्रशासनिक सर्तकता प्रभाग के अलावा, केन्द्रीय सर्तकता आयोग तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्युरो अन्य दो एजेंसियां है जो इस कार्य में जुटी हुई है।

कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग का प्रशासनिक सतर्कता प्रभाग सतर्कता तथा भ्रष्टाचार विरोधी उजयों में आवस्थकता मार्गदर्शन और जहां कहीं आवस्यकता हो, सहायता करने के अतिरिंक्त इस बारे में मंत्रालयों/ विभागों के प्रयास भी समन्वित करता है। कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेशन मंत्रालय द्वारा तैयार की गई बार्धिक कार्य-योजना जो मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यांन्वत की शिकायत तथा पेशन मंत्रालय द्वारा तैयार की गई बार्धिक कार्य-योजना जो मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यांन्वत की बाती हैं, में सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार समाप्त किरने के लिए निवारण, निगरानी और सुरागरसानी तथा निवारक देण्डात्मक कार्रवाई के माध्यम से त्रिस्त्री रण-नीति अपनाई जाती है। यह आरंग्मिक रूप में 1985-86 में लागू की गई थी तथा इसे वार्षिक आधार पर जारी रखा ज रहा है।

सार्वजनिक जीवन में से भ्रष्टाचार समाप्त करने की दृष्टि से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मूलतः 1947 में अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 जो अपेक्षाकृत ज्यादा व्यापक है, को अधिनियमित करके और मजबूत बनाया गया है। 1988 के नए अधिनियम में निप्तलिखित व्यवस्था है:—

> (1) "लोक सेवक" जिसमें कृषि, उद्योग, व्यापार अथवा बैंकिंग आदि में लगी पंजीकृत सहकारी समितियों के पदधारी भी शामिल है, की परिभाषा को क्षेत्र व्यापक बनाना।

> (2) इस अधिनियम के अंतर्गत मुफटमों की सुनवाई के लिए विशेष न्द्रवालकों की स्थापन हेतु उपगंध का समावेश।

> (3) भारतीय दंड संहिता की धारा 161 से 165 "क" के अंतर्गत अपराध का समावेश।

> (4) "आय के ज्ञत स्तेत" राष्ट्र (जिसका तारपर्य केवल आय का विभिन्सम्पत स्रोत है) को परिपास का समावेश करना।

भ्रष्टाचार निरोधी उपाय, जो सेवकों की सेवा-शर्तों को शासित करने वाले विभिन्न आचरण नियमों हारा विभिवत रूप से समर्थित हैं, भ्रष्टचार निवारण के उपाय के रूप में कार्य करते हैं।

इसके अतिरिवत, सार्कजनिक जीवन से प्रष्टाचार की व्याधि का उन्पूलन करने तिथा दोषी व्यक्तियों को दण्डित करने के लिए व्यापक तथा विख्तृत विषायी तथा सांविधिक उपबंध विद्यापन हैं।

## Schemes for Creating Employment in Gujarat

1858. SHRI RAJUBHAI A. PAR-MAR: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) the scheme being implemented in Gujarat for creating employment for all;

(b) the amount allocated to Gujarat for the purpose during the last three years; and

(c) the targets fixed and achieved in this regard during the same period?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI CHAN-DRADEO PRASAD VERMA): (a) to (c) Major schemes being implemented for creating employment in the all States/

	-	~	
UTs including Gujarat are (i) In Development Programme Jawahar Rozgar Yojana Employment Assurance Scheme The Integrated Rural Programme (IRDP) is a Self	(IRDP), (ii) (JRY) and (EAS). Development	Jawahar Rozgar Yogana (JI Employment Assurance Scheme ( wage employment programme implemented in Gujarat for sustainable employment to the rural	EAS) are being providing

[RAJYA SABHA]

The details of physcial and financial performance for the last three years under the schemes of IRDP, JRY and EAS are as under:----

to Questions

172

Year	Allocation Utilisation		Physical	Physical	
		(Rs.in	lakhs) Ta	rget Achi	eve-
					ment
				(Familie	s in Nos.)
Ke				-	
IRDP.	1993-94	3090.00	3354.85	74909	79725
	1994-95	3063.00	3259.82	61262	76498
	1995-96	3059.22	3077.68	*	55686 Mandays Generated (Lakhs Mandays)
JRY **	1993-94	12925	11716	211	233
	1994-95	13835	14166	240	259
	1995-96	14004	12824	213	219
EAS:	1993-94	* **	146	***	7
	1994-95	»»*	1810	***	35
	1995-96	*»*	5752	***	92

\* During 1995-96 the physical target was not fixed

\*\* Including Intensified JRY.

171

activities.

Written Answers

programme aimed at creating self amployment opportunities for familes living below the poverty line in rural areas by

providing financial assistance in the form of

subsidy by the Govt, and term credit advanced

by financial institutions for income generating

\*\*\* EAS is a demand driven scheme and therefore, has not formal yearly allocation and target.

गुजरात में ''कापार्ट'' द्वारा स्वीकृत परियोजनाएं 1859. भी अनन्तराय देवज्ञकर दये: क्या प्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गुजरात में विशेषकर सूरत, मरूच, वलसाड और पंचमहल जिलों के जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों में लोक अभियान तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी समुन्नति परिषद

(कापार्ट) द्वारा इसके आरंभ से लेकर जून, 1995 तक कितनी परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है,

(ख) इन जिलों की किन-किन एजेंसियों को ''कापार्ट'' के माध्यम से सहायता दी गई है और ये एजेंसियां किन-किन स्थानों पर स्थित हैं: